मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना–800002

पत्रांक–2 / मु0अ0–03–03 / 2026 पटना / दिनांक–

प्रेषक,

ई0 एजाज कलीम
मुख्य अभियन्ता ।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय,
भोजपुर।

विषय :– भोजपुर जिला अन्तर्गत सोन नदी के ~~बालूघाट~~ BHOJ SON-30A से बालू लदे वाहनों के परिचालन के लिए अस्थाई संरचना निर्माण हेतु अनुमति / अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–बाढ़(मो0)सिं0–66 / 2015–अंश–II–940 दिनांक–19.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विभागीय निदेश तथा आपके पत्रांक–223 दिनांक–03.02.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में भोजपुर जिला के सहार प्रखंड अन्तर्गत पेउरचक ग्राम में सोन नदी के बालूघाट सं0–BHOJ SON-30A से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु सोन नदी में 02 अदद अस्थाई लौह पुल निर्माण हेतु अनुमति / अनापत्ति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है, जिससे की नदी के जलप्रवाह / तटबंधों / संरचनाओं / Morphological Behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढ़का हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो। इस रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू को नियंत्रित रखा जा सके। उक्त कार्यों को संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
2. नदी भाग एवं कंट्री भाग में वाहनों के नदी के तट पर चढ़ने एवं उतरने हेतु दोनों तरफ रैम्प का निर्माण करना आवश्यक होगा, जो संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
3. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से सम्पोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी।
4. बाढ़ अवधि में वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. नदी तट / भाग पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
6. संरचना निर्माण कार्य की व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी होगी।
7. अस्थाई संरचना के निर्माण से जल मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय। इसके लिए नियमित रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी।
8. अस्थाई संरचना निजी प्रयोग के लिए है। इसलिए इसके स्थायित्व एवं मजबूती की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी।
9. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा।

10. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थाई पुल को संबंधित विभाग द्वारा हटाना होगा।
11. बाढ़ अवधि में बालू परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
12. संरचना निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
13. नदी से बालू की कटाई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा निर्धारित तल लेवल (1.50M) से अधिक गहराई से नहीं किया जाए तथा NSL एवं किनारों को किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं किया जाय।
14. संबंधित विभाग को इस अस्थाई संरचना के दोनों ओर एक-एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि "अस्थायी संरचना, आम लोगों के लिए वर्जित है"।
15. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
16. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय।
17. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय।
18. विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
19. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित CBuD APP(Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
20. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
21. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक-31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा।

विश्वासभाजन

ह0/

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः-
पटना/दिनांकः-

प्रतिलिपिः- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः-
पटना/दिनांकः-

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः— 1073 पटना/दिनांकः— 28.03.2016

प्रतिलिपिः— अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता